UPMP040140972026

न्यायालय C.J.M., Mainpuri

Criminal Misc. Cases/1310/2026

उत्तर प्रदेश राज्य बनाम अवधेश

दिनांक 25.05.2026

आवेदक अवधेश पुत्र भूरेलाल निवासी काशीराम आवास नगला कीरत जिला मैनपुरी की ओर से अपराध संख्या 319/2026 अन्तर्गत धारा 303(2), 317(2) बी.एन.एस. थाना कोतवाली जिला मैनपुरी के प्रकरण में प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि वह मोटरसाइकिल संख्या यू.पी.84 ए.क्यू. 8698 का पंजीकृत स्वामी है। दिनांक 09.05.2026 को रात्रि लगभग 10.30 बजे महाराज तेज सिंह जिला चिकित्सालय मैनपुरी से चोरी हो गयी थी। चोरी की मोटरसाइकिल पुलिस द्वारा बरामद कर ली गयी है जो थाना कोतवाली में निरूद्ध है। प्रार्थी का वाहन खुले स्थान पर खड़े रहने से काफी नुकसान होने का संदेह है। अतः याचना की गयी है कि उक्त वाहन को उसकी सुपुर्दगी में दिया जाए।

सुना तथा थाने की आख्या का अवलोकन किया गया, जिसके अनुसार उक्त वाहन थाना परिसर में खड़ी हुयी है। थाने से प्राप्त आख्या में उक्त मोटरसाइकिल का चैसिस नम्बर अंकित है। साक्ष्य संलकन की कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है। रिलीज का विरोध है।

कथन के समर्थन में मूल आर.सी. व बीमा को प्रस्तुत किया गया है।

प्रश्नगत वाहन थाने पर निरूद्ध रहने से उसकी उपयोगिता में ह्रास होने एवं उसके खराब होनें की संभावना है। निर्णय विधि सुन्दर भाई अम्बालाल देसाई बनाम गुजरात राज्य 2003(46)ए.सी.सी 223 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि न्यायालय में निरूद्ध सम्पत्ति मामलों को विधिपूर्वक अतिशीघ्र निस्तारित करने का प्रयास करना चाहिये।

अतः उक्त विवेचित तथ्यों एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उपरोक्त निर्णय विधि में पारित दिशा निर्देश के प्रकाश में प्रश्नगत वाहन को आवेदक के पक्ष में निम्नांकित शर्तों के अधीन सुपुर्दगी में दिया जाना न्यायोचित होगा।

आदेश

आवेदक द्वारा **मुव. 80,000/– रूपए (अस्सी हजार रूपए मात्र) का व्यक्तिगत बंध–पत्र तथा इसी राशि की एक प्रतिभू** एवं इस आशय की अण्डरटेकिंग प्रस्तुत करने पर कि वह वाहन मोटरसाइकिल संख्या यू.पी.84 ए.क्यू.8698 को न्यायालय द्वारा तलब किए जाने पर उसे न्यायालय के समक्ष अपने खर्चे पर प्रस्तुत करेगा। उसे न तो किसी अन्य के पक्ष में अंतरित करेगा और न ही खुर्द–बुर्द करेगा तथा न्यायालय की अनुमति के बगैर उसे न तो बेचेगा न ही उसके स्वरूप में कोई परिवर्तन करेगा । उक्त वाहन आवेदक की सुपुर्दगी में दिया जावे।

सम्बन्धित थानाध्यक्ष को निर्देशित किया जाता है कि उक्त वाहन को यदि वह किसी अन्य मामले में वांछित न हो तो आवेदक की सुपुदर्गी में दे देवें।

दिनांक–25.05.2026

गरिमा सिंह–III
प्रभारी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
मैनपुरी

आशीष प्रजापति,
पी.ए.